(GI-11, GI-12+15, GI-13+14, SI-5)

DATE: 01.07.2020 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3¼ Hours**

PAPER : AUDITING

DIVISION – A (MULTIPLE CHOICE QUESTIONS)

ANSWER (1-20) CARRY 1 MARK EACH

1. Ans. c
2. Ans. c
3. Ans. a
4. Ans. d
5. Ans. c
6. Ans. d
7. Ans. c
8. Ans. d
9. Ans. a
10. Ans. d
11. Ans. b
12. Ans. c
13. Ans. d
14. Ans. a
15. Ans. b
16. Ans. c
17. Ans. c
18. Ans. d
19. Ans. d
20. Ans. a

ANSWER (21-25) CARRY 2 MARKS EACH

21. Ans. d
22. Ans. b
23. Ans. d
24. Ans. d
25. **गलतः** किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत बैंक की वजह से किसी भी राशि को 'अतिदेय' है, अगर बैंक द्वारा तय की गई तारीख पर भुगतान नहीं किया गया है।

DIVISION B-DESCRIPTIVE QUESTIONS
QUESTION NO. 1 IS COMPULSORY
ATTEMPT ANY FOUR QUESTIONS FROM THE REST

Answer 1:

(a) एक और अंकेक्षण परीक्षक द्वारा कार्य पर भरोसा : एसए 220 ''वित्तीय विवरणों की एक अंकेक्षण परीक्षा के लिए गुणवत्ता नियंत्रण'' के अनुसार, कार्य के दौरान एक अंकेक्षण–परीक्षा लेने वाली एक कार्य साथी समीक्षा प्रक्रियाओं को लागू कर सकता है। जैसे, काम पेशेवर मानकों के अनुसार किया गया है और विनियामक और कानूनी आवश्यकताओं, आगे विचार के लिए साइन–फाई फाउंडेशन उठाए गए हैं, उचित परामर्श लिया गया है और परिणामस्वरूप निष्कर्ष दस्तावेज और कार्यान्वित किए गए हैं, प्रकृति, समय और सीमा को संशोधित करने की आवश्यकता है। **{2 M}**

निष्पादित कार्य निष्कर्ष पर पहुँच गया है और उचित रूप से प्रलेखित है, प्राप्त सबूत पर्याप्त है और अंकेक्षक की रिपोर्ट का समर्थन करने के लिए उपयुक्त है, और कार्य प्रक्रियाओं के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है। **{2 M}**

Answer:

(b) **लेखा परीक्षकों के चयन एवं नियुक्ति की विधि एवं प्रक्रिया** (Manner and procedure of selection and appointment auditors) **{1/2 M}**

CAAR] 2014 के नियम 3 में लेखा, परीक्षक के चयन एव नियुक्ति की निम्नलिखित विधि एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

(1) किसी ऐसी कम्पनी के मामलें में, जिसे धारा 177 के तहत एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता होती हैं, समिति, एवं ऐसे मामलों में, जहां उक्त समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं होती हैं, मण्डल, लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने हेतु प्रस्तावित व्यक्ति या फर्म की योग्यता एवं अनुभव पर विचार करेगा तथा यह भी ध्यान रखेगा कि उक्त योग्यता एवं अनुभव कम्पनी के आकार एवं आवश्यकताओं के अनुरूप हैं या नहीं।

यह ध्यान दिया जा सकता हैं, कि नियुक्ति पर विचार करते समय, लेखा परीक्षा समिति या मण्डल, जैसा भी मामला हो, प्रस्तावित लेखा परीक्षक के खिलाफ इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकांउंटेंट्स ऑफ इण्डिया या किसी सक्षम प्राधिकरण या किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित पेशेवर कदाचार से संबंधित किसी भी कार्यवाही या आदेश को भी ध्यान में रखेगें।

(2) लेखा परीक्षा समिति या मण्डल, जैसा मामला हो, प्रस्तावित लेखा परीक्षक से ऐसी अन्य सूचनाओं की माँग कर सकता हैं, जो यह उपयुक्त समझें।

(3) उप–नियम (1) के प्रावधानों के अधीन, जहाँ किसी कम्पनी को लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता होती हैं, वहाँ समिति लेखा परीक्षा के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु मण्डल के समक्ष किसी व्यक्ति या फर्म के नाम की सिफारिश करेगी तथा अन्य मामलों में, मण्डल विचार करेगा तथा नियुक्ति के लिए वार्षिक आग बैठक में सदस्यों के समक्ष लेखा परीक्षक के रूप में एक व्यक्ति या एक फर्म की सिफारिश करेगा। **{Each Points 1/2 Mark}**

(4) यदि मण्डल लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश से सहमत हो जाता हैं, तो यह वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के समक्ष लेखा परीक्षा के रूप में एक व्यक्ति या फर्म की नियुक्ति की सिफारिश करेगा।

(5) यदि मण्डल लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश से असहमत होता हैं, तो वह उक्त असहमति के कारणों का हवाला देते हुए सिफारिश को पुनर्विचार के लिए समिति को वापस भेज देगा।

(6) यदि लेखा परीक्षा समिति, मण्डल द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, अपनी मूल सिफारिशों पर पुनर्विचार ना करने का निर्णय लेती है, तो मण्डली समिति के साथ अपनी असहमति के कारणों को रिकार्ड करेगा तथा अपनी सिफारिश को वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के विचारण हेतु भेजेगा, और यदि मण्डल लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों के साथ सहमत होता है, तो यह मामले को वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा विचार किए जाने हेतु उनके समक्ष रखेगा।

(7) वार्षिक आम बैठक में नियुक्त लेखापरीक्षक, उस बैठक के समापन से छठवीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक उस कार्यालय पर पदासीन रहेगा, जहाँ उक्त नियुक्ति को पहली बैठक के रूप मान कर किया गया हो।

Answer:

(c) **प्रावधान और स्पष्टीकरणः** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140 की उप–धारा (2) का पालन न करने के लिए, लेखा परीक्षक को जुर्माना के साथ दंडनीय होगा, जो 50,000 हजार रुपये से कम नहीं होगा या लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक, जो भी हो कम है, लेकिन जो उक्त अधिनियम की धारा 140(3) के तहत 5,00,000 रुपये तक हो सकता है। **{2 M}**

निष्कर्षः इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140 (3) के तहत जुर्माना रुपये से कम नहीं होगा। 30,000 लेकिन जो रु। 5,00,000। **{1 M}**

Answer:

(d) अंकेक्षण सबूत के गम्भीर मूल्यांकन के लिए व्यावसायिक संदेह आवश्यक है। इसमें परिस्थितियों के प्रकाश में प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य की कनिष्ठता और उपयुक्तता पर विचार भी शामिल है, उदाहरण के लिए जहॉ धोखाधड़ी के जोखिम कारक मौजूद है और एक दस्तावेज जो एक धोखे के लिए अति संवेदनशील है, एकमात्र समर्थन साक्ष्य है एक भौतिक वित्तीय विवरण राशि। **{1 M}**

अंकेक्षक रिकॉर्डस और दस्तावेज को वास्तविक रूप में स्वीकार कर सकता है, जब तक कि अंकेक्षण परीक्षक को इसके विपरीत पर विश्वास करने का कारण न हो। फिर भी, अंकेक्षक को अंकेक्षण साक्ष्य के रूप में उपयोग की जाने वाली जानकारी की विश्वसनीयता पर विचार करना आवश्यक है। सम्भव धोखाधड़ी की जानकारी या संकेत की विश्वसनीयता के बारे में संदेह के मामलों में, एसए से आवश्यक है कि अंकेक्षण परीक्षक आगे की जॉच करेगा और यह तय करेगा कि इस मामले को हल करने के लिए किन प्रक्रियाओं या अंकेक्षण प्रक्रियाओं को जोड़ना आवश्यक है। **{1 M}**

अंकेक्षक की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि इकाई के प्रबंधन की ईमानदारी और अखंडता के पिछले अनुभव और शासन के आरोप वाले उपेक्षा की उपेक्षा करना। फिर भी, यह विश्वास है कि प्रबंधन और प्रशासन के आरोप वाले ईमानदार है और ईमानदारी से पेशेवर निरीक्षणात्मकता बनाए रखने की आवश्यकता के अंकेक्षक को राहत नहीं देता है। **{1 M}**

Answer 2:

(a) कृषि अग्रिम

दिशा–निर्देशों के अनुसार, कृषि अग्रिम दो प्रकार के हैं,

(1) ''लम्बी अवधि'' फसलों के लिए कृषि अग्रिम और

(2) ''छोटी अवधि'' फसलों के लिए कृषि अग्रिम **{2 M}**

''लम्बी अवधि'' की फसलों के एक वर्ष से अधिक फसलों की फसल होगी और फसलों, जो ''लम्बी अवधि'' नहीं है, को ''लघु अवधि'' फसलों के रूप में माना जाएगा।

प्रत्येक फसल के लिए फसल को मौसम, जिसका मतलब हैं, कि उठाए गए फसलों की कटाई की अवधि प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

निम्नलिखित एनपीए मानदण्ड कृषि अग्रिमों (क्रॉप अवधि ऋण सहित) पर लागू होगेः **{2 M}**

- अल्प अवधि की फसलों के लिए दी गई ऋण को एनपीए जाएगा, यदि मूलधन या ब्याज की किश्त दो फसलों के मौसमों के लिए अतिदेय रहती हैं औरं,
- लंबी अवधि की फसलों के लिए दी गई ऋण को एनपीए माना जाएगा, यदि एक फसल सीजन के लिए मूलधन या ब्याज की किश्त एक अतिदेय नहीं है।

Answer:

(b) ऐसे खाते जहॉ उधारकर्ताओं द्वारा किए गए सुरक्षा/धोखाधड़ी के मूल्य में कटाव होता हैं, सम्पति वर्गीकरण के चरणों का पालन करने के लिए विवेकपूर्ण नहीं। इसे सीधे–सीधे वर्गीकृत होना चाहिए, संदिग्ध या हानि सम्पति जैसा कि उपयुक्त हैं,

(i) सुरक्षा के मूल्य में क्षरण को सिक्योरिटी के रूप में माना जा सकता है, जब सुरक्षा के वसूली योग्य मूल्य बैंक द्वारा निर्धारित के 50 प्रतिशत से कम या आरबीआई द्वारा पिछले निरीक्षण के समय में स्वीकार किए जाते हैं, जैसा कि मामला हो। ऐसे एनपीए संदिग्ध श्रेणी के तहत सीधे–सीधे क्लास हो सकते है और संविधान सम्पति पर लागू प्रावधान के रूप में प्रावधान किया जाना चाहिए। **{$1^{1/2}$ M}**

(ii) यदि बैंक/अनुमोदित वैल्यूर्स/आरबीआई द्वारा मूल्यांकन के रूप में सुरक्षा के वसूली योग्य मूल्य उधारकर्ता खातों मे बकाया का 10 प्रतिशत से कम हैं, तो सुरक्षा की मौजदूगी को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और परिसम्पति सीधे दूर होनी चाहिए, हानि परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत। यह या तो लिखित ओएफएफ या बैंक द्वारा पूरी तरह से प्रदान किया जा सकता है। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer:

(c) उपयुक्ता अंकेक्षण 'उपयुक्तता अंकेक्षण' के अनुसार अंकेक्षक उन अनुचित दशाओं, अपरिहार्यताओं, निष्फल व्ययों चाहे वे व्यय सम्बन्धित नियमों तथा नियमनों की सीमओं के अन्तर्गत ही उपगत व्यय क्यों न हों, को खोजने का प्रयत्न करता हैं। समय बीतने के साथ–साथ यह अनुभव किया गया कि केवल नियमित अंकेक्षण ही सार्वजनिक हितों की उचित सुरक्षा करने में पर्याप्त नहीं है। एक लेन–देन को इन सभी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करना होता हैं, जिनकी आवश्यकता नियमित लेन–देनों के सम्बन्ध में होती है अर्थात वे विभिन्न औपचारिकताएँ तथा नियम जिनकी आवश्यकता लेन–देनों के सम्बन्ध में होती है अर्थात वे विभिन्न औपचारिकताएँ तथा नियम जिनकी आवश्यकता लेन–देनों की पूर्णता को सुनिश्चित करने से सम्बन्धित होती हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए, परन्तु ये अब भी अत्यन्त दोषपूर्ण हो सकती हैं। टेलीफोन एक्सचेंज (Telephond Exchange) को लगाने में इमारत का निर्माण किया जा सकता है, परन्तु इस भवन का उपयोग हो सकता हैं, उस रूप में न किया जाये, परिणापस्वरूप ऐस व्यय निष्फल हो सकते हैं, अथवा विद्यालय चलाने के उद्देश्य से एक भवन का निर्माण कराया जाये, परिणामस्वरूप ऐसे व्यय निष्फल हो सकते हैं, अथवा विद्यालय चलाने के उद्देश्य से एक भवन का निर्माण कराया जाये, परन्तु उसका प्रयोग पाँच वर्षो के पश्चात जब भवन बनकर तैयार हो जाए तब किया जाये यह अपरिहार्य व्ययों से सम्बन्धित एवं दशा है। **{1 M}**

अतएव अंकेक्षण सार्वजनिक वित्तीय नैतिकता को बुद्धि, वफादारी तथा लेन–देनों की किफायत के सन्दर्भ में देखने का प्रयास करता हैं, जिससे उच्चस्तरीय मानकों को प्राप्त किया जा सके। इन विचारों से उपयुक्तता अंकेक्षण का उदय हुआ, जिन्हें अब अंकेक्षण अधिकरणों के साथ नैतिक कार्यो की तरह प्रयोग में लाया जाता है। उपयुक्तता के प्रति अंकेक्षण के मार्ग को नियंत्रित करने हेतु किसी सूक्ष्म नियमावली का सृजन काफी कठिन होता है। अंकेक्षक का एक उद्देश्य अपनी स्वीकृति के लिए सामान्य विवके तथा अंकेक्षकों की तर्कशक्ति की अपील करता है तथा उन व्यक्तियों के विवके की मांग करता है, जिनके वित्तीय लेन–देन उपयुक्तता अंकेक्षण के क्षेत्र में आते है। वैसे कुछ सामान्य सिद्धान्त अंकेक्षण मानदण्ड संहिता में बनाये गये हैं, जिनको काफी लम्बे समय से वित्तीय औचित्य का मानदण्ड माना जा रहा है। औचित्य के प्रति अंकेक्षण यह आश्वासन पाने का प्रयास करता है कि व्यय इन सिद्धान्तों से मेल खाते हैं, जिनको नीचे समझाया जा रहा हैः **{1 M}**

(a) व्यय सरसरी तौर से मौके की मांग से अधिक नहीं होनी चाहिये। प्रत्येक सरकारी अधिकारी से आशा की जाती है कि सार्वजनिक धन से किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में वही सावधानी बरते जो एक सामान्य विवेकशील प्राणी अपने निजी धन के खर्चे के सम्बन्ध में बरतता है।

(b) कोई भी सत्ता ऐसे व्ययों की स्वीकृति की शक्ति का उपयोग न करे ऐसा आदेश पास करने के लिए जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसके अपने निजी लाभों के लिए हो।

(c) सार्वजनिक धन को समाज के किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के हितार्थ उपयोग न किया जाये जब तक किः **{1 M}**

(i) सन्निहित व्यय की राशि महत्वहीन सी न हो; या

(ii) राशि के लिए कोई दावा न्यायालय में प्रवर्तनीय न कराया जा सके; या

(iii) व्यय मान्य नीतियाँ तौर–तरीके के अनुरूप न रहे; तथा

(iv) भत्तों की राशि जैसे यात्रा भत्ता एक विशेष प्रकार के व्ययों को पूरा करने के लिए स्वीकार किया जाता है, इसको इस प्रकार किया जाये कि भत्ते, कुल–मिलाकर प्राप्तकर्ता के लिए लाभ के स्रोत न बन जायें।

Answer:

(d) CAG की भूमिका कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धाराओं (5), (6) व (7) में निर्धारित है। एक सरकारी कम्पनी की दशा में CAG धारा 139 की उपधारा (5) या (7) के अंतर्गत अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा अर्थात् प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति या बाद वाले अंकेक्षक की नियुक्ति और ऐसे अंकेक्षक को सरकारी कम्पनी के लेखों के अंकेक्षण के बारे में निर्देश देगा कि उनका अंकेक्षण किस ढंग से किया जाए। इस प्रकार से नियुक्त अंकेक्षक CAG को अंकेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति देगा, अन्य बातों के अतिरिक्त उससे निर्देश होंगे, यदि कोई हैं, उस पर की गई कार्यवाही और इसका कम्पनी लेखों और वित्तीय विवरण पर पड़ने वाला प्रभाव। **{1 M}**

CAG को अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर अधिकार होगा।

(a) ऐसी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों का पूरक अंकेक्षण (Supplementary Audit) ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कराने का जिन्हें वह इस संबंध में अधिकृत करें। ऐसे अंकेक्षण के उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सूचना या अतिरिक्त सूचना दे, ऐसे विषयों के संबंध में, ऐसे व्यक्तिय या व्यक्तियों द्वारा और ऐसे ढंग से जैसा वह CAG निर्देश दे। **{1½ M}**

(b) ऐसी अंकेक्षण रिपोर्ट पर टिप्पणी और उसे पूरक करें :
बशर्ते कि CAG द्वारा की गई टिप्पणी या पूरक अंकेक्षण रिपोर्ट कम्पनी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भेजी जाएगी, जो धारा 136 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसे प्राप्त करने का अधिकारी है, अर्थात् कम्पनी के प्रत्येक सदस्य, कम्पनी द्वारा जारी ऋणपत्रों के न्यासी को और सभी व्यक्तियों को ऐसे सदस्यों या न्यासी को छोड़कर, जो इसे प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ–साथ कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत की जाएगी, अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय और उसी ढंग से।

नमूने का अंकेक्षण (Test Audit) : पुनः अंकेक्षण और अंकेक्षक के संबंध में प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बगैर CAG उन कम्पनियों के संबंध में, जो धारा 139 की उपधारा (5) और (7) में समामेलित है, यदि वह आवश्यक समझें एक आदेश के द्वारा ऐसी कम्पनी के लेखों के नमूने की अंकेक्षण जॉच (Test Audit) कर सकता है। ऐसे नमूने को अंकेक्षण जॉच की रिपोर्ट के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियॉ और सेवा की शर्ते अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे। जैसा कि उपरोक्त में वर्णन किया गया है, एक सरकारी कम्पनी की दिशा में अंकेक्षण पेशेवर अंकेक्षकों द्वारा किया जाता है। जिनकी नियुक्ति CAG की सलाह पर की जाती है। CAG कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत पूरक या नमूने की जॉच अंकेक्षण करवाने के लिए अधिकृत है। **{1½ M}**

Answer 3:

(a) **प्रावधान तथा स्पष्टीकरण** : कम्पनी अधिनियम 13 की धारा 141(3)(c) निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति जो कम्पनी का अधिकार अथवा कर्मचारी का साझेदार अथवा रोजगार में है जो एक कम्पनी का अंकेक्षक के रूप में कार्यवाही के लिए अयोग्य होगा। धारा 141 की उपधारा 4 प्रदान करता है कि एक अंकेक्षक जो अपनी नियुक्ति के पश्चात् धारा 141 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी अयोग्यता के तहत है, वह एक अंकेक्षक के रूप में अपने पद को खली किया माना जायेगा। **{2 M}**

निष्कर्ष : वर्तमान मामले में, Laxman Limited का एक अंकेक्षक श्री A ने Laxman Limited का वित्त प्रबंधक श्री B के साथ साझेदार के रूप में सम्मिलित हुआ। दी गयी स्थिति में धारा 141 की उपधारा (3)(c) प्रभावित हुई तथा इसलिए, उसे धारा 141 की उपधारा (4) के अनुसार Laxman Limited का अंकेक्षक का पद को छोड़ा हुआ माना है। **{2 M}**

Answer:

(b) **प्रावधान तथा स्पष्टीकरण** : कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 140 की उपधारा (2) की गैर अनुपालना के लिए अंकेक्षक जुर्माना से सजा योग्य होगा जो 50,000 रू. से कम नहीं होगा अथवा अंकेक्षक का पारिश्रमिक जो भी कम है परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 140(3) के अन्तर्गत 5,00,000 लाख रू. तक हो सकती है। **{2 M}**

निष्कर्ष : इसलिए, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 140(3) के अन्तर्गत जुर्माना 30,000 रू. से कम नहीं होगा परन्तु 5,00,000 लाख रू. तक हो सकता है। **{2 M}**

Answer:

(c) **प्रावधान तथा स्पष्टीकरण** : सरकारी कम्पनी के मामले में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(7) के प्रावधान के द्वारा संचालित है जो वर्णित करता है कि सरकारी कम्पनी के मामले में प्रथम अंकेक्षक को कम्पनी की पंजीकरण की तिथि से 60 दिवस के अंदर नियंत्रक तथा महालेखाकार के द्वारा नियुक्त किया जायेगा। **{2 M}**

निष्कर्ष : इसलिए, Bhartiya Petrol Ltd. का निदेशक मंडल द्वारा किया प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति व्यर्थ है। **{1 M}**

Answer:

(d) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 140(1) के अन्तर्गत अंकेक्षक को हटाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमतिः अंकेक्षक को उसकी अवधि से पूर्व अर्थात् उसके रिपोर्ट को देने से पूर्व हटाना एक गंभीर मामला है तथा उसकी स्वतंत्रता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। **{1 M}**

आगे, हित का ठकराव के मामले में, अंशधारक अपने हित में अंकेक्षकों को हटा सकते है।
इसलिए, कानून ने सुरक्षा प्रदान की है ताकि केंद्रीय सरकार इस प्रकार की कार्यवाही के लिए कारण जान सके तथा यदि संतुष्ट नहीं है, तो अनुमति नहीं देगी। **{1 M}**

दूसरी तरफ यदि अंकेक्षक ने अपनी पूरी कर ली है अर्थात् उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा उसके पश्चात् उसे पुनः नियुक्त नहीं किया, तब केंद्रीय सरकार उसके हस्तक्षेप के लिए गंभीर नहीं है। **{1 M}**

Answer 4:

(a) ऋण के अतिरिक्त दायित्व (ऊपर चर्चा की है) में व्यापार प्राप्य तथा अन्य चालू दायित्व, आस्थगित भुगतान क्रेडिट तथा प्रावधान सम्मिलित है। दायित्वों का सत्यापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सम्पत्ति का, यह विचार करते हुए यदि दायित्व छूट गया (अथवा कम वर्णित है) अथवा अति वर्णित है चिट्ठा इकाई के कार्यकलाप का सत्य तथा उचित मद नहीं दिखायेगा। **{2 M}**

आगे, एक दायित्व चालू के रूप में वर्गीकृत है यदि यह निम्न मानदंड को संतुष्ट करती हैः

- इसकी इकाई की सामान्य परिचालन चक्र में निपटारा होने की अपेक्षा है।
- इसे मुख्यतः व्यापारिक होने के उद्देश्य से रखा है।
- यह प्रतिवेदन अवधि के पश्चात् बारह माह के अंदर निपटारा के लिए देय है।
- इकाई का प्रतिवेदन अवधि के पश्चात् कम से कम बारह माह के लिए दायित्व का आस्थगन का बिना शर्त का अधिकार नहीं है। दायित्व की शर्त जो प्रतिपक्ष का विकल्प पर समता प्रलेख के निर्गम के द्वारा इसका निपटारा में परिणामतः होती है, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती।

{2 M}

Answer:

(b) सम्पत्तियों का गबन :

इसमें इकाई की सम्पत्ति की चोरी लिप्त है तथा प्रायः तुलनात्मक छोटी तथा सारहीन राशि में कर्मचारियों द्वारा की जाती है। यद्यपि, इमसें प्रबंधन भी लिप्त हो सकते हैं जो प्रायः गबन को इस प्रकार छुपाने में समर्थ होते हैं कि उसका खोजना कठिन है। सम्पत्ति का गबन कई तरीके से किया जा सकता है जिसमें सम्मिलित हैः

- प्राप्ति की हेराफेरी (उदाहरण के लिए प्राप्य खाता पर संग्रहण का गबन अथवा अपलिखित खाता से व्यक्तिगत बैंक खाता में प्राप्ति को मोड़ना)
- भौतिक सम्पत्तियों अथवा बौद्धिक सम्पत्तियों को चुराना (उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत उपयोग अथवा बिक्री के लिए इवेंटरी का चुराना, पुर्नबिक्री के लिए कबाड़ का चुराना, भुगतान की विवरणी में प्रौद्योगिकी की डाटा को प्रकट कर प्रतिस्पर्द्धी के साथ साठगांठ)

{2 M}

- प्राप्त नहीं वस्तु तथा सेवा के लिए इकाई को भुगतान के लिए कहना (उदाहरण के लिए, कृत्रिम विक्रेता, कीमतों में वृद्धि के लिए वापिसी में इकर्इा का क्रय एजेंट को विक्रेता द्वारा भुगतान रिश्वत)।

उदाहरण

विनीत Zed Ex लि0 में एक प्रबंधक है। उसके पास 10,000 रुपये तक का चैक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है, अंकेक्षण करते हुए अंकेक्षक राजन ने पाया कि 9,999 रुपये का काई चैक है जिस पर विनीत ने हस्ताक्षर किये। आगे, विनीत ने बड़े भुगतान को विभक्त किया (10,000 रुपये से अधिक की राशि का चेक को 10,000 रुपये से कम दो अथवा ज्यादा चैक में विभक्त किया ताकि वह भुगतान को प्राधिकृत कर सके। **{2 M}**

इसने अंकेक्षक ने पाया गया कि अंकेक्षक ने पाया कि 9,999 रुपये के चैक को विनीत के व्यक्तिगत खाता में जमा किया अर्थात् विनीत ने राशि का गबन किया।
कम राशि में चैक को विभक्त करना खाते की गड़बड़ी में लिप्त है।
एक कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी की गयी

- व्यक्तिगत उपयोग के लिए इकाई की सम्पत्ति का उपयोग (उदाहरण के लिए इकाई की सम्पत्ति का व्यक्तिगत ऋण अथवा संबंधित पक्ष को ऋण देने के लिए प्रयुक्त करना)।
  सम्पत्ति का गबन प्रायः असत्य अथवा भ्रामक रिकार्ड अथवा प्रपत्र द्वारा संलग्न होता है ताकि इस तथ्य को छुपाया जा सके कि सम्पत्ति गुम है अथवा बिना उपयुक्त प्राधिकरण के बंधक की है।

Answer:

(c) बारम्बार बाहरी पुष्टि प्रक्रिया प्रासंगिक है, जब खाता शेष तथा उससे जुड़े अभिकथन को संबोधित करते हैं, परन्तु इन मदों तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए, अंकेक्षक एक इकाई तथा अन्य पक्षों के मध्य समझौता, संविदा अथवा सौदों के संदर्भ में बाहरी पुष्टि की मांग कर सकता है। बाहरी पुष्टि प्रक्रिया को कुछ शर्तो के अभाव के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक प्रार्थना विशेष रूप से पुष्टि की मांग कर सकती है कि कोई ''साइड समझौते'' विद्यमान नहीं है जो इकाई की राजस्व कट ऑफ अभिकथन से प्रासंगिक है। अन्य स्थिति जहां पर बाहरी पुष्टि प्रक्रिया सारवान मिथ्या विवरण की समीक्षा जोखिम के प्रत्युत्तर में प्रासंगिक अंकेक्षण साक्ष्य प्रदान कर सकता है: **{1 M}**

- बैंकिंग संबंध से प्रासंगिक बैंक शेष तथा अन्य सूचना
- खाता प्राप्य शेष तथा अवधि
- प्रक्रियागत अथवा प्रेषण के लिए माल भण्डारण गृहों पर तृतीय पक्ष द्वारा धारित स्कंध
- सुरक्षा अमानत अथवा सुरक्षा के लिए वकीलों अथवा वित्त प्रदानकर्ता द्वारा धारित सम्पत्ति हक विलेख
- तृतीय पक्षकारों के द्वारा सुरक्षित रखने के लिए धारित निवेश अथवा स्टॉक ब्रोकर्स से क्रय परन्तु तुलनपत्र तिथि तक सुपुर्दगी नहीं।
- पुर्नभुगतान की प्रासंगिक शर्त तथा प्रतिबंध संविदा सहित लेनदारों को देय राशि
- खाता भुगतान योग्य शेष तथा अवधि।

{Any 4 Point Each 1/2 Mark}

Answer:

(d) अंकेक्षण तथा कानून के मध्य संबंध काफी नजदीकी हैं। अंकेक्षण में क्या अथवा इन सौदों को सही ढंग से प्रविष्ट किया है, के मत से विभिन्न सौदो का परीक्षण लिप्त है यह आवश्यक करता है कि अंकेक्षक की **{1 M}**

इकाई को प्रभावित करने वाला व्यापार कानून का अच्छा ज्ञान है। यह संविदा का कानून, पराक्रमय प्रलेख इत्यादि के साथ परिचित होना चाहिए। कराधान कानून का ज्ञान भी आवश्यक है क्योंकि इकाई को विभिन्न **{1 M}**

कर कानून के द्वारा प्रभावित विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखकर अपने वित्तीय विवरण को तैयार करना होता है। विभिन्न सौदों विशेष रूप से लेखांकन पक्ष का प्रभाव का विश्लेषण में एक अंकेक्षक का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर कानून के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। **{1 M}**

`

Answer 5:

(a) **महत्वपूर्ण मामला तथा संबधित महत्वपूर्ण पेशेवर निर्णयन का प्रपत्रीकरण**

एक मामले की महत्वता का परखने में तथ्य तथा परिस्थिति की वस्तु परक विश्लेषण की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण मामलों के उदाहरण में सम्मिलित हैः

- मामला जो महत्वपूर्ण जोखिम को जन्म देते है।
- अंकेक्षण प्रक्रिया का परिणाम संकेत देता है। (a) कि वित्तीय विवरण को सारवान रूप मे मिथ्या वर्णित किया जा सकता है, अथवा (b) सारवान मिथ्या विवरण की जोखिम की अंकेक्षक की पहले की समीक्षा को पुर्नरक्षित करने की आवश्यकता है तथा इन जोखिम का अंकेक्षक का प्रत्युत्तर **{2 M}**
- परिस्थिति जो अंकेक्षक को आवश्यक अंकेक्षण प्रक्रिया को लागू करने में पर्याप्त कठिनाई देते है।
- निष्कर्ष जो अंकेक्षण राय की संशोधन परिणाम हो सकता है अथवा अंकेक्षक की रिपोर्ट में मामला पैराग्राफ का जोर सम्मिलित हो सकता है।

महत्वपूर्ण मामलों की अंकेक्षण प्रपत्रीकरणके स्वरूप, विषय वस्तु तथा हद के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण फेक्टर कार्य के निष्पादन तथा परिणाम के आंकलन में प्रयुक्त पेशेवर निर्णयन की हद है।

पेशेवर निर्णयन जहां पर महत्वपूर्ण है, का प्रपत्रीकरण अंकेक्षक के निष्कर्षा का निर्णयन की गुणवत्ता को सुदृढ़ करता है। इस प्रकार मामलों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का विशेष हित का है जिसमें बाद का अंकेक्षण को चलाना जब लगातार महत्व की मामलों की समीक्षा की जाती है। (उदाहरण के लिए, लेंखाकन अनुमान की पूववर्ती समीक्षा को निष्पादित किया जाता है)

परिस्थिति के कुछ उदाहण जिसमें पेशवर निर्णयन का उपयोग से संबंधित अंकेक्षण प्रपत्रीकरण को तैयार करना उपयुक्त है जहां पर मामला तथा निर्णयन महत्वपूर्ण है:

- अंकेक्षक का निष्कर्ष के लिए युक्ति जब तक आवश्यकता प्रदान करता है कि अंकेक्षक कुछ सूचना अथवा फैक्टर 'विचार करेगा' तथा वह विचार विशेष लिप्तता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। **{2 M}**
- विषयपरक निर्णयन का क्षेत्र की उचितता पर अंकेक्षक का निष्कर्ष का आधार (उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान की उचितता)
- एक प्रपत्र की प्रमाणिकता के बारे में अंकेक्षक का निष्कर्ष जब अंकेक्षण के दौरान पहचान स्थिति के प्रत्युत्तर में इस प्रकार का अन्वेषण (जैसा एक विशेषज्ञ का उपयुक्त उपयोग अथवा पुष्टि प्रंक्रिया जो अंकेक्षक को विश्वास दिलाता है कि प्रपत्र प्रमाणिक नही हैं)

Answer:

(b) **अंकेक्षण साक्ष्य की पर्याप्तता:** पर्याप्तता अंकेक्षण साक्ष्य की मात्रा का माप है। आवश्यक अंकेक्षण की मात्रा अंकेक्षक की मिथ्या विवरण का जोखिम (जितना अधिक समीक्षा जोखिम उतना अधिक अंकेक्षण साक्ष्य की आवश्यकता होगी तथा साथ में इस प्रकार के अंकेक्षण साक्ष्य की गुणवत्ता) द्वारा प्रभावित होती है। ज्यादा अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करना इसकी खराब गुणत्ता की क्षतिपूर्ति नही करता। पर्याप्तता के बारे में अंकेक्षक का निर्णय निम्न तत्वों द्वारा प्रभावित हो सकता है: **{2 M}**

(i) सारवानता
(ii) सारवान मिथ्या विवरण की जोखि
(iii) जनसांख्यिकी का आकार तथा विशेषता

(i) सारवानता को वित्तीय विवरण का उपयोगकर्ता को प्रस्तुति तथा प्रकटीकरण तथा सौदा, खाता शेष की श्रेणीी का महत्व को परिभाषित किया जा सकता है। कम साक्ष्य की आवश्यकता होगी जहां पर अमिकथन वित्तीय विवरण का उपयोगकर्ता के लिए कम सारवान है। परन्तु दूसरी तरफ यदि अभिकथन वित्तीय विवरण का उपयोगकर्ता से ज्यादा सारवान हैं, ज्यादा साक्ष्य की आवश्यकता होगी।

(ii) **सारवान मिथ्या विवरण को जोखिम के रूप में** परिभाषित किया जा सकता है कि वित्तीय विवरण अंकेक्षण से पहले सारवान रूप में मिथ्या वर्णित है। यह अभिकथन स्तर पर वर्णित दो घटक से मिलकर बना है (a) अर्न्तनिहित जोखिम–मिथ्या विवरण की एक अभिकथन की संवेदनशलीता जो किसी संबंधित नियंत्रण की प्रतिफल से पूर्व सारवान होगा (b) नियंत्रण जोखिम–जोखिम एक मिथ्या विवरण है जो एक अभिकथन पर उत्पन्न हो सकता है जो सारवान हो सकता है, को इकाई की आंतरिक नियंत्रण द्वारा समयबद्ध आधार पर रोका अथवा खोजा अथवा सही नही किया जायेगा। अभिकथन के मामले में कम साक्ष्य की आवश्यकता होगी जिसका सारवान मिथ्या विवरण का न्यून जोखिमह ै। परन्तु दूसरी तरफ यदि अभिकथन का सारवान मिथ्या विवरण का उच्च जोखिम है, ज्यादा साक्ष्य की आवश्यकता होगी। **{2 M}**

(iii) **जनसाख्यिकी का आकार** जनसाख्यिकी में सम्मिलित मदों की संख्यो को संदर्मित करता है। छोटी, ज्यादा संजातीय जनसांख्यिकी के मामले में कम साक्ष्य की आवश्यकता है परन्तु दूसरी तरफ बड़ी ज्यादा विजातीय जनसांख्यिकी के मामले में ज्यादा साक्ष्य की आवश्यकता होगी।

Answer:

(c) SA 200 ''स्वतंत्र अंकेक्षक का सम्पूर्ण उद्देश्य'' के अनुसार वित्तीय विवरण का अंकेक्षण का परिचालन में, अंकेक्षक का सम्पूर्ण उद्देश्य है: **{1 M}**

(i) क्या वित्तीय विवरण सम्पूर्ण रूप से सारवान मिथ्या विवरण से मुक्त है उचित आश्वासन को प्राप्त करना, तथा **{1 M}**

(ii) अंकेक्षक का निष्कर्ष के अनुसार SAs द्वारा आवश्यक संप्रेषण करना अथवा वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट करना। **{1 M}**

Answer:

(d) यह समझना पर्याप्त नहीं है कि अंकेक्षक को क्या होना चाहिए वह व्यापार तथा अन्य संस्थान के वित्तीय मामला पर रिपोर्टिंग से संबंधित है। वित्तीय मामला को मानव भ्रमशीलता की समस्या के साथ स्थापित किये जाने चाहिये, त्रुटि तथा धोखाधड़ी बारम्बार है। Dicksee के अनुसार अपेक्षित गुणवत्ता युक्ति, सावधानीपूर्वक दृढ़ता, अच्छा स्वभाव, अखंडता, स्वेच्छा, उद्योग, निर्णयन, धैर्य तथा विश्वसनीतया है। संक्षेप में वह सभी व्यक्तिगत गुणवत्ता जो एक अच्छे व्यापारी को बनाती है एक अच्छे अंकेक्षक को बनाने में अंशदान करती है। इसके अतिरिक्त उसके पास ऊँचाई को छूने के लिए अच्छे संस्कार होने चाहिए। उसके पास पर्याप्त स्वतंत्रता द्वारा समर्पित अखंडता की उच्चतम विधि है। वास्तव में नैतिक संहिता के सामान्य सिद्धांतों में अखंडता, वस्तुपरकता तथा स्वतंत्रता है। उनके पास कानून का सामान्य सिद्धांत का गहन ज्ञान होना चाहिए, जिन मामलों को संचालित करता है उनके उनकी अतरंग सम्पर्क में होने की संभावना है। कम्पनी अधिनियम से की विशेष वर्णन करने की आवश्यकता है। वाणिज्यिक कानून विशेष रूप से अनुबंध से संबंधित कानून कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह कहना अनावश्यक है कि जहां पर उपक्रम को विशेष विधान द्वारा संचालित किया जाता है इसका ज्ञान अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त कानून का ठोस ज्ञान तथा कराधान का प्रेक्टिस अपरिहार्य है। **{1 M}**

उसे वित्तीय तथा प्रबंधन लेखांकन, सामान्य प्रबंधन, व्यापार तथा निगमित कानून, कम्प्यूटर्स तथा सूचना प्रणाली, कराधान तथा अर्थशास्त्र इत्यादि में सैद्धांतिक शिक्षा का सघन कार्यक्रम का अनुगमन करना चाहिए। दोनों व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा सैद्धांतिक शिक्षा अंकेक्षण कार्य का किसी प्रकार को करने के लिए एक अंकेक्षक की पेशेवर सक्षमता का विकास के लिए बराबर से आवश्यक है।

अंकेक्षक ना केवल तरीका जिसमें प्रायः व्यापार को चलाया जाता के ज्ञान से सुसज्जित होना चाहिए परन्तु साथ में एक विशेष व्यापार से विशिष्ट व्यापार की विशेष विशेषता की समझ होनी चाहिए जिसके खाता अंकेक्षण के अंतर्गत है। अंकेक्षक जो विश्वास की स्थिति को धारित करता है, की पेशेवर प्रशिक्षण तथा शिक्षा की तकनीकी आवश्यकता के अतिरिक्त मूल मानव गुणवत्ता को रखते हैं। **{1 M}**

उसे आलोच्य रूप से वित्तीय विवरण की समीक्षा को लगातार करने के लिए कहा जाता है तथा उसके लिए उस कार्य को करना अनुपयोगी है जब तक उसका ज्ञान विशेषज्ञ नहीं है। सभी शाखा में लेखांकन का सघन ज्ञान अंकेक्षण की प्रेक्टिस को अनिवार्य है। उसे लंखांकन सिद्धांत तथा तकनीक का गहन ज्ञान होना चाहिए।

Lord Justice Lindley ने प्रसिद्ध London & General Bank में निर्णय के दौरान संक्षेप में सम्पूर्ण मत का सारांश किया कि एक अंकेक्षक किसे व्यक्तिगत गुणवत्ता मानता है। उसने कहा, ''एक अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए अर्थात् उसे वह प्रमाणित नहीं करना चाहिये जिससे वह सत्य नहीं मानता तथा जिसे विश्वास करता है कि जिसे वह प्रमाणित करता है कि सत्य है।'' **{1 M}**

Answer 6:

(a) कृषि अग्रिम

दिशा–निर्देशों के अनुसार, कृषि अग्रिम दो प्रकार के हैं,

(1) ''लम्बी अवधि'' फसलों के लिए कृषि अग्रिम और

(2) ''छोटी अवधि'' फसलों के लिए कृषि अग्रिम **{2 M}**

''लम्बी अवधि'' की फसलों के एक वर्ष से अधिक फसलों की फसल होगी और फसलों, जो ''लम्बी अवधि'' नहीं है, को ''लघु अवधि'' फसलों के रूप में माना जाएगा।

प्रत्येक फसल के लिए फसल को मौसम, जिसका मतलब हैं, कि उठाए गए फसलों की कटाई की अवधि प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

निम्नलिखित एनपीए मानदण्ड कृषि अग्रिमों (क्रॉप अवधि ऋण सहित) पर लागू होगेः **{2 M}**

- अल्प अवधि की फसलों के लिए दी गई ऋण को एनपीए जाएगा, यदि मूलधन या ब्याज की किश्त दो फसलों के मौसमों के लिए अतिदेय रहती हैं औरं,
- लंबी अवधि की फसलों के लिए दी गई ऋण को एनपीए माना जाएगा, यदि एक फसल सीजन के लिए मूलधन या ब्याज की किश्त एक अतिदेय नहीं है।

Answer:

(b) अंकेक्षण में सन्निहित विशिष्ट कदम होंगे :

(1) सत्यापन **(Verify)**

(ए) शो के दौरान सिनेमा हॉल में प्रवेश केवल मुद्रित टिकटों के माध्यम से ही होता है।

(बी) टिकटें क्रमांकित है तथा पुस्तकों में जिल्द बंद है।

(सी) जारी की गई टिकटों के नम्बर प्रत्येक शो तथा श्रेणी के लिए अलग होते हैं, यद्यपि उसी दिन शो के लिए उसी श्रेणी के नम्बर प्रत्येक सप्ताह क्रमानुसार चलते हैं।

(डी) अग्रिम बुकिंग के लिए टिकटों की एक पृथक श्रृंखला जारी की जाती है, तथा

(ई) टिकटों का स्टॉक एक उत्तरदायी अधिकारी के कब्जे मं होता है।

(2) पुष्टि करना कि शो के अन्त में बिक्री टिकटों का एक विवरण तैयार किया जाता है तथा प्राप्त हुई रोकड़ को मिलाकर देखा जाता है।

(3) फ्री पासों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है तथा उनको अधिकार के अंतर्गत ही जारी किया जाता है, इसकी पुष्टि करें ।

(4) वसूल हुए मनोरंजन कर की राशि का प्रत्येक श्रेणी के कुल टिकटों की संख्या से मिलान करें।

(5) दैनिक विवरण के हवाले से विभिन्न शो के लिए टिकटों की बिक्री पर वसूल हुई रोकड़ के सम्बन्ध में रोकड़ बही में प्रविष्टियों का प्रमाणन करें जिसकी किये गये विभिन्न शो के लिए निर्गमित टिकटों के रिकॉर्ड के साथ उपर्युक्त तौर से परीक्षण जॉच की जा चुकी है।

(6) विज्ञान स्लाइडो तथा शाट्स के लिए वसूल किये गये प्रभार को सिनेमा में रखे (Register of Slides and Shorts Exhibited) के हवाले से तथा इस संबंध में विज्ञापनकर्ताओं के साथ किये गये समझौतों के संदर्भ में सत्यापित किया जाये।

(7) विज्ञापन, मरम्मत तथा अनुसरण पर किये गये व्ययों का सत्यापन किया जाये। ऐसे व्ययों का कोई भी भाग पूंजीगत न किया जाये सिवाय व्यापक तौर पर साज–सज्जा के व्यय को छोड़कर तथा इसकी आस्थगत आगम व्ययों के रूप में समायोजित किया जाना चाहिए।

(8) पुष्टि करें कि फर्नीचर तथा मशीन पर ह्रास उपयुक्त दर से लगाया गया है, जो ऐसी सम्पत्तियों के संबंध में अन्य व्यवसायों की दशा में लागू होने वाली दरों से कहीं अधिक है।

(9) किराये पर ली गई फिल्मों के भुगतानों को वितरक के बिलों से प्रमाणित करना चाहिए अथवा संबंधित अनुबंधों के संदर्भ में उनका मिलान कर प्रमाणन करना चाहिए।

(10) फिल्म के किराये के संबंध में वितरकों की दी गयी अग्रिम धनराशि के असमायोजित शेषों से जॉचना चाहिए तथा यह देखना चाहिए, कि वे प्राप्त है तथा शोध्य है। यदि ऐसी कोई फिल्म है, जो चल रही है तथा उसके संबंध में भुगतान किया जा चुका है, तो यह देखना चाहिए, कि ऐसे अग्रिमों को अभी तक क्यों समायोजित नहीं किया गया है। प्रबंध से अग्रिमों के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए भी सुझाव देना चाहिए, यह प्रावधान उनसे संबंधित होते हैं, जो शोधनीय है।

(11) रेस्टोरेन्ट की आय में भाग के संग्रहण हेतु व्यवसाय की भली प्रकार जॉच–पड़ताल की जानी चाहिये या तो टेकिंग्स (takings) की एक स्थायी राशि या एक स्थायी प्रतिशत वार्षिक तौर पर प्राप्त हो सकता है। उस स्थिति में जबकि रेस्टोरेंट सिनेमा हॉल द्वारा चलाया जा रहा तो इसकी जॉच के लिए खातों की भी जॉच करनी चाहिये। अंकेक्षण में भोज्य पदार्थो को विभिन्न मदों के विक्रय, भोजन पदार्थ के क्रय, शीतल पेय, सिगरेट इत्यादि शामिल किये जाते हैं।

{Any 8 points each 1/2 marks}

Answer:

(c) कार्यक्रम निर्माण के उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए :

(1) असाइमेंट के दायरे और सीमा के भीतर रहें। **{1 M}**

(2) आवश्यक रूप से उपलब्ध सबूतों को निर्धारित करें और आवश्यक संतुष्टि पाने के लिए सबसे अच्छे प्रमाण की पहचान करें।

(3) केवल उन उपाय और प्रक्रियाओं को लागू करें जो विशिष्ट स्थिति में वास्तविकता के उद्देश्य को पूरा करने में उपयोगी है।

{1 M}

(4) त्रुटि की सभी संभावनाओं पर विचार करें।

(5) संबंधित वस्तुओं के लिए लागू होने वाली प्रक्रियाओं का समन्वय करना।

{1 M}

Answer:

(d) एसए–315 के अनुसार, ''इकाई और इसके पर्यावरण को समझकर माल ढांचे के जोखिम की पहचान करना और मूल्यांकन करना'' लेखा परीक्षक निम्नलिखित की समझ प्राप्त करेगा :

(ए) प्रासंगिक उद्योग, विनियामक और अन्य बाह्य कारक जिनमें लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे शामिल हैं। मांग, क्षमता, उत्पाद और मूल्य प्रतिस्पर्धा के साथ ही चक्रीय या मौसमी गतिविधि सहित प्रतियोगी वातावरण। **{1/2 M}**

(बी) इकाई की प्रकृति, जिसमें शामिल है :

(i) इसके संचालन,

(ii) इसकी स्वामित्व और प्रशासन संरचना,

(iii) संस्था के निर्माण के प्रकार और विशेष प्रयोजन संस्थाओं में निवेश सहित, बनाने की योजना बना रही है, तथा

(iv) जिस तरह से संस्था संरचित होती है और यह कैसे चलती है,

वित्तीय विवरणों में अपेक्षित होने वाले लेन–देन, खाता शेष राशि और खुलासे को समझने के लिए लेखा परीक्षक को सक्षम करने के लिए। **{1 M}**

(सी) इकाई के चयन और लेखांकन नीतियों के आवेदन, इसमें परिवर्तनों के कारणों सहित लेखा परीक्षक यह मूल्यांकन करेगा, कि इकाई की लेखांकन नीतियॉ उसके व्यवसाय के लिए उपयुक्त है और संबंधित उद्योग में प्रयुक्त वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे और लेखा नीतियों के अनुरूप है। **{1/2 M}**

(डी) इकाई के उद्देश्यों और रणनीतियों, और उन संबंधित व्यावसायिक जोखिमों के कारण जो भौतिक गलतफहमी के जोखिम पैदा कर सकते हैं। **{1/2 M}**

(ई) इकाई के वित्तीय प्रदर्शन की माप और समीक्षा। **{1/2 M}**

—**—